टुस्को लिमिटेड
TUSCO LIMITED
(टीएचडीसी इण्डिया लि० एवं यूपी नेडा का संयुक्त उपक्रम)
चतुर्थ तल, यूपी नेडा भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (उ.प्र.)
4th Floor, U.P. Neda Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010 (U.P.)

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

No. TUSCO/LKO/Solar/2023-24/ 1158 Date: 23.01.2024

To,
SPO (UPNEDA)
UPNEDA Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar. Lucknow-226 010 (UP).

Sub: 800 MW Chitrakoot Solar Power Project Handing over of 295 acres additional Gram Sabha/ Govt. land to TUSCO Limited on lease basis-UP. Solar Energy Policy-2022 reg

Ref: i. ACS (Energy) Letter no. 1050/87-अति०ऊ०सो०वि०/2023 dated 03.08.2023
ii. G.O. No. 5/2023-प्र०स०-53/एक-1-2023-10-1 दिनांक 15.03.2023

Respected Sir,

1. With reference to above cited references and G.O. issued by Govt. of U.P. in respect of allotment of Govt land for Solar projects, the methodology for transfer of Gram Sabha/ Govt land was finalised and issued by Govt of UP vide ACS (Energy), Govt, of UP. letter dated 03.08.2023.

2. Vide ACS (Energy) letter dated 03.08.2023, the Gram Sabha/Govt. land coming under the solar project area will be handed over to Solar Power Park Developer (SPPD) on lease basis @Rs 1.0 per acre per year on "First Come First Served" basis after approval of a high-level committee chaired by ACS (Energy), Govt, of U.P.

3. In this context, it is to inform that TUSCO Ltd is implementing 800 MW Solar power project in distt. Chitrakoot. As on 19.01.2024, a total 1558.192 acre of private land has been acquired on lease basis from farmers. whereas initially the identified Gram Sabha / Govt. land for 800 MW Chitrakoot Solar Power Park Project was 955 acres. In addition to this, 295 acres Govt. land of five new villages have been identified which is also duly verified by Distt. Magistrate, Chitrakoot (copy enclosed at annexure -1).

प्राप्त 23/01/24

Sr.C 24/01/2024 SPD

4. TUSCO Ltd. deposited Rs. 955.00 (955 acre @ Rs. 1.00 per acre) in the Bank Account-NEDA Lease Rent Account of UP NEDA on 05.08.2023 and lease deed agreement between TUSCO Ltd & UPNEDA has been signed. Now, amount of Rs. 295.00 (295 acre @ Rs. 1.00 per acre) against 295 Acre of Govt. land of five new villages have been deposited in the Bank Account – NEDA Lease Rent Account, UPNEDA on 16.01.2024 (copy enclosed at annexure-2).

5. It is requested to kindly arrange to convene a meeting of the designated high-level committee, so that the above additional Gram Sabha/Govt. land of 295 acres falling in the Solar project boundary of Chitrakoot Solar Power Project could be approved by the committee for handing over the land by way of lease deed signing with TUSCO Limited for Chitrakoot Solar Project.

Thanking you

Your faithfully

23/01/2024

(Manoj Kumar)
Asst. Manager (Solar)

Enel: As above

CC:

1. Director UPNEDA, Lucknow
2. CEO, TUSCO LTD., Lucknow.
3. AGM (Planning & Cord.), TUSCO Ltd., Lucknow.
4. AGM (Solar), TUSCO Ltd., Chitrakoot.
5. DGM (Finance), TUSCO Ltd.

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

सेवा मे,

अपर मुख्य सचिव,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन,
कक्ष सख्या–224, बापू भवन,
लखनऊ।

संख्या– 4164 /भूमि व्यवस्था/2023 दिनांकः 06 जनवरी 2024 दिसम्बर,2023

विषय: टीएचडीसीआईएल एवं यूपीनेडा के संयुक्त उपक्रम टुस्को लि0 द्वारा जनपद चित्रकूट में विकसित किये जा रहे 800 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क हेतु चिन्हांकित अतिरिक्त 05 ग्रामों की भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

....

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, यूपीनेडा, लखनऊ के पत्र संख्या–132/टुस्को/लखनऊ/सीईओ/2022–23 दिनांक 08.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित परियोजना की स्थापना हेतु टुस्को लि0 द्वारा जनपद चित्रकूट में भ्रमण कर अतिरिक्त 05 ग्राम कमशः गोइंयाखुर्द, गोइयाकला, सेमरा, अतरी मजरा एवं बरगढ तहसील मऊ की चिन्हित ग्राम सभा/सरकारी भूमि 305 एकड का अधिग्रहण अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग के पक्ष में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी मऊ द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तहसील मऊ के 05 ग्रामों की शासकीय भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	प्रस्तावित शासकीय भूमि का श्रेणीवार विवरण (हे0 में)						माल गुजारी का 150 गुना पंजीकृत
		श्रेणी–5 नवीन परती	श्रेणी–5 बजर	श्रेणी–4 सीलिंग	श्रेणी–6 पथरीली भूमि	कुल गाटा	कुल रकबा	
1	अतरी मजरा	–	–	9.496	–	09किता	9.496	23,925
2	सेमरा	–	38.524	–	0.490	25किता	39.014	97,005
3	गोइया कला	3.744	–	5.127	–	11किता	8.871	22,185
4	गोइया खुर्द	5.974	4.309	20.928	–	53किता	31.211	77,865
5	बरगढ	15.290	1.607	–	13.787	35किता	30.684	76,560
योग		25.008	44.440	35.551	14.277	133किता	119.276	2,97,540

उप जिलाधिकारी मऊ द्वारा उक्तानुसार प्रत्येक ग्राम का अलग–अलग प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है तथा प्रस्ताव में यह अंकित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–77 से आच्छादित नही हैं। प्रस्तावित भूमि पर किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1, के शासनादेश सं0 (कार्यालय ज्ञाप संशोधन) 5/2023/प्र0स0–53/एक–1–2023–रा0–01, लखनऊ दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश सं0–6/2023/16(1)/ एक–1–2023–रा0–1, लखनऊ दिनांक 15.03.2023 में उल्लिखत है कि "उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2023 से आच्छादित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–77(1) की भूमियों को छोंडकर धारा–59 की उपधारा–2 के खण्ड–(एक) (तीन) तथा (चार) की भूमि को 1 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिये पट्टे पर प्रशासनिक विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने स्तर से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) का उपलब्ध कराया जायेगा।"

उप जिलाधिकारी मऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त भूमि का सांकेतिक मूल्य रकबा 119.276हे0/294.61 अर्थात 295 एकड ×दर प्रति एकड़ = कुल सांकेतिक मूल्य 295.00×1.00=295.00(दो सौ पंचानवे रूपया मात्र) देय होगा।

अतः शासनादेश दिनांक 15.03.2023 में निहित व्यवस्थान्तर्गत उपरोक्तानुसार भूमि को 30 वर्ष के लिये पट्टे पर दिये जाने हेतु 01 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य रू0 295.00 वार्षिक किराया लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800 –अन्य प्राप्तियां–08–मालकाना–राजस्व–0806 प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा कराकर चालान की मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। ताकि उक्तानुसार चिन्हित भूमि को 30 वर्ष के लिये अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन को पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(अभिषेक आनन्द)
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, महोदय चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को सादर अवलोकनार्थ।

2–निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय, ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, टुस्को लि0 लखनऊ।

4– परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा, चित्रकूट।

(अभिषेक आनन्द)
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।